

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

परिपत्र क्रमांक:-प. 5(194)नवि/3/2015

19 JUN 2017

जयपुर, दिनांक:-

परिपत्र

राज्य सरकार, ई-गवर्नेन्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति, 2015 के बाबत मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 172/2015 द्वारा जारी की गयी है। उक्त नीति में निम्न प्रावधान किया गया है:-

"IT Parks/IT Campuses notified by the Department of Industries/Department of IT & C and IT Industry, i.e. IT/ITES Units/Companies shall be exempted from the Zoning Regulations and Payment of Conversion Charges, subject to the provisions of State Acts and the following:

- i) a maximum area limit (to be notified separately)
- ii) ensuring environmental safe guards"

अतः राजस्थान सरकार की उक्त नीति के तहत राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 6 के उप-नियम (2) के क्लॉज (V) संपठित नियम 16 व 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्न शर्तों के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन व शुल्क में छूट प्रदान करती है :-

- (1) कि राजस्थान ई-गवर्नेन्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति, 2015 में आई.टी. उद्योग के रूप में परिभाषित को पारिस्थितिक क्षेत्र और कोई निर्माण निषेध क्षेत्र के रूप में चिह्नित क्षेत्रों को छोड़कर मारटर प्लान के तहत किसी भी भूमि के उपयोग में अनुमति दी जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रमाणित करेगा कि प्रस्तावित आई.टी. उद्योग राजस्थान ई-गवर्नेन्स और सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं की नीति, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप है ;
- (2) कि आई.टी. उद्योग पर्यावरण सुरक्षित गार्ड्स के संबंध निर्धारित मापदण्डों की अनुपालना करेगा ;
- (3) कि यह छूट आई.टी. पार्क के लिए अधिकतम 8 हेक्टेयर के क्षेत्र के मामले पर लागू होगी तथा 8 हेक्टेयर से अधिक बड़े हुए क्षेत्र के लिए भू-उपयोग परिवर्तन पर राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के प्रावधानानुसार भू-उपयोग परिवर्तन राशि देय होगी। एक व्यक्तिगत इकाई के लिए यह छूट अधिकतम 2000 वर्गमीटर के लिए ही दी जायेगी तथा 2000 वर्गमीटर से अधिक बड़े हुए क्षेत्रफल की भूमि के उपयोग परिवर्तन के लिए राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के प्रावधानानुसार भू-उपयोग परिवर्तन राशि देय होगी, आई.टी./आई.टी.ईएस इकाई/कम्पनी आदि का आई.टी. विभाग द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ;
- (4) कि आवेदक को प्रमाणित करना होगा कि प्रस्तावित क्षेत्र वास्तव में केवल प्रस्तावित आई.टी. उद्योग के लिए आवश्यक है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। एक बार छूट का लाभ उठाया है, तां छूट की तिथि से 12 महिनो के अन्दर उद्योग की स्थापना करू बाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जाना आवश्यक होगा। यदि उद्योग 12 महिनो की अवधि में स्थापित नहीं किया गया है, तो आवेदक भूमि के उपयोग परिवर्तन शुल्क के भुगतान के लिए राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 13 के प्रावधान के तहत छूट की राशि पर ब्याज सहित @ 20 प्रतिशत शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा ;
- (5) कि राज्य स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा गठित समीक्षा टीम द्वारा प्रथम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष तथा उसके पश्चात प्रत्येक 2 वर्षों पर भौतिक निरीक्षण कर (on ground verification) कर उक्त भूमि के संबंध में यह सत्यापित किया जायेगा कि उक्त भूमि का उपयोग उद्योग उद्देश्यों के लिए ही किया जा रहा है ;

- (6) कि एक बार प्रोत्साहन पर इस नीति के तहत यदि लाभ उठाया जाता है तो भू-उपयोग में आगे कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। आई. टी. उद्योग से भिन्न किसी अन्य उपयोग के लिए भू-उपयोग में किसी भी परिवर्तन के मामले में राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 13 के प्रावधान लागू होंगे तथा छूट दी गयी राशि पर ब्याज व @ 20 प्रतिशत प्रति वर्ष शास्ति पर भू-उपयोग परिवर्तन राशि वसूलनीय होगी ;
- (7) कि यह छूट कारखाना अधिनियम, 1948 (वर्ष 1948 का अधिनियम संख्या 63) में यथापरिभाषित खतरनाक उद्योग (Hazardous Industry) के लिए लागू नहीं होगी ; तथा
- (8) कि इस परिपत्र के तहत छूट केवल उन आवेदकों, जिनकी परियोजना राजस्थान ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं नीति, 2015 के अनुसार मंजूर की गयी है, पर ही लागू होगी।

अज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार।
7. आवासन/राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. माननीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
9. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
10. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार योजना भवन कैम्पस, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
13. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
14. वरिष्ठ सहायक शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये प्रारंभ हेतु।
15. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
16. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
17. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
18. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय सॉफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
19. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम